रजिस्टर्ड नं० ल0-33/एस0 एम0 14/91.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 3 अगस्त, 1991/12 श्रावण, 1913

हिमाचल प्रदेश सरकार

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 जुलाई, 1991

संख्या कोप-ए (3)-1/87.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 28 नवम्बर, 1985 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश वर्ग-3 सेवायें (विधि सहायक) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1985 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वर्ग-3 सेवायें (विधि सहायक) भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 1991 है।

(ii) ये नियम इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. स्तम्भ 11 का संशोधन.—(i) हिमाचल प्रदेश वर्ग-3 सेवायें (विधि सहायक) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1985 जिन्हें इनमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा जाएगा के उपाबन्ध-I के स्तम्भ 11 में आये अंकों "31-12-1983" के स्थान पर अंक 31-3-1991 प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ii) उक्त नियमों के उपाबंध-I के स्तम्भ 11 के नीचे दिए गए टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण-1 प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

टिप्पण. 1—प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31-3-1991 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, हिसाब में ली जाएगी:—

(क) उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-91 तक सम्भरण पद में की गई तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार के लिये पात्र हो जाता है वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कैडर में विचार के लिए पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति पर विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसे प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जायेगा ।

स्पष्टीकरण: अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमाबिलाईज्ड आर्मड फोरसिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिस) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अधीन भर्ती किया गया हो तथा इसके अधीन वरीयता लाभ दिये गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-2 के उपबन्धों के अधीन भर्ती किया गया हो तद्धीन वरीयता लाभ दिए गये हों ।

(ख) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, 31-3-91 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए हिसाब में ली जाएगी :

परन्तु 31-3-1991 तक की गई तदर्थ सेवा को हिसाब में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

आदेश द्वारा,

हर्ष गुप्ता,
आयुक्त एवं सचिव ।

[*Authoritative English text of this Department notification No. Co-op. A*(3)-1/87, *dated* 16-7-91 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

CO-OPERATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 16*th July*, 1991

No. Co-op. A (3)-1/87.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the

Himachal Pradesh Class-III Services (Legal Assistant) Recruitment and Promotion Rules, 1985, in the Department of Co-operation, Himachal Pradesh, notified *vide* Himachal Pradesh Government notification of even number, dated the 28th November, 1985 and as amended from time to time, namely :—

1. *Short title and commencement.*—(*i*) These rules may be called the Himachal Pradesh Class-III Services (Legal Assistant) Recruitment and Promotion Rules (2nd Amendment), 1991.

(*ii*) These shall come into force from the date of publication of this notification in Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Col.* 11.—(*i*) For the figure "31-12-1983" appearing in Col. 11 of Annexure-I of the Himachal Pradesh Class-III Services (Legal Assistant) Recruitment and Promotion Rules, 1985 (hereinafter called the said rules), the figure "31-3-1991" shall be substituted.

(*ii*) For the existing Note-I below Col. 11. of Annexure-I of the said rules, the following Note-I shall be substituted, namely :—

Note 1.—In all cases of promotion, the *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-1991 if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition:—

(*a*) that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis upto 31-3-91) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration :

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less :

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation : The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be ex-serviceman recruited under the provisions of rule-3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-2 of ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(*b*) Similarly, in all cases of confirmation, *ad hoc* services rendered on the feeder post upto 31-3-1991, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service :

Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account *ad hoc* service rendered upto 31-3-1991 shall remain unchanged.

By order,

HARSH GUPTA,
Commissioner-cum-*Secretary*.

सामान्य प्रशासन विभाग

ख-अनुभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-171002, 29 जुलाई, 1991

संख्या जी0ए0बी0(ए)4-4/90(मण्डी).—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17-10-90तथा 29-10-90 के प्रसंग में राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला स्तर पर जिला मण्डी में अन्त्योदय, विकास एवं लोक शिकायत निवारण समिति के निम्न गैर-सरकारी सदस्यों को मनोनीत करने के सहर्ष आदेश देते हैं, इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष होगा :—

1. जिले से सम्बन्धित समस्त विधायक ।

2. जिले के समस्त पंचायत समितियों के अध्यक्ष ।

3. जिले के भारतीय जनता पार्टी के प्रधान और महासचिव ।

4. भाजपा के मण्डल/विधान सभा क्षेत्र के प्रधान ।

5. महिला प्रतिनिधि : श्रीमती सुमित्रा ठाकुर, गांव मकरेड़ी, डाकखाना बसाही, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी ।

6. भूतपूर्व सैनिक प्रतिनिधि : सूबेदार कांशी राम (सेवा निवृत) महावीर चक्र, गांव ड्वाहण, डाकखाना भरगांव, तहसील कोटली, जिला मण्डी ।

7. अनुसूचित जाति/जन जाति प्रतिनिधि : श्री सन्त राम सुपुत्र श्री सरण दास, गांव पलाही, डाकखाना अप्पर वैहली, तहसील सुन्दरनगर, मण्डी ।

8. विधि संघ के प्रतिनिधि : श्री दलीप सिंह एडवोकेट, जिला कचहरी मण्डी ।

9. जिला के युवा भाजपा के प्रधान : जोगिन्द्र सिंह एडवोकेट, सुन्दरनगर ।

10. जिले के व्यापार मण्डल के प्रधान : सरदार संतोष सिंह, चौहटा बाजार, मण्डी ।

इस समिति के गठन के आदेश तुरन्त लागू होंगे ।

शिमला-171002, 30 जुलाई, 1991

संख्या जी0ए0बी0(ए)4-4/90 (लाहौल-स्पिति).—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17-10-90 तथा 29-10-90 के प्रसंग में राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जिला स्तर पर जिला लाहौल-स्पिति में अन्त्योदय, विकास एवं लोक शिकायत निवारण समिति के निम्न गैर-सरकारी सदस्यों को मनोनीत करने के सहर्ष आदेश देते हैं, इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष होगा :—

1. जिले से सम्बन्धित समस्त विधायक ।

2. जिले के समस्त पंचायत समितियों के अध्यक्ष : 1. रानी दमयन्ती देवी, अध्यक्ष, ब्लाक समिति स्पिति, स्थान काजा ।

		2. श्री चरण दास, अध्यक्ष, ब्लाक समिति लाहौल, गांव व डाकखाना घुशाल, जिला लाहौल-स्पिति ।
3. जिले के भारतीय जनता पार्टी के प्रधान और महासचिव ।	:	1. कर्नल हिंमे डोगिया, प्रधान भाजपा, जिला लाहौल-स्पिति, निवासी वदाह, डा0 मोहल, जिला कुल्लू ।
		2. श्री मोहन लाल, महासचिव भाजपा, जिला लाहौल-स्पिति, मारफत वेपन स्टोर माल मनाली, जिला कुल्लू ।
4. भाजपा के मण्डल/विधान सभा क्षेत्र के प्रधान	:	1. श्री हीरा लाल ठाकुर, मण्डल प्रधान (लाहौल) गांव व डा0 जाहलमा, जिला लाहौल-स्पिति ।
		2. श्री तण्डुप झलसो, मण्डल प्रधान (स्पिति), गांव व डा0 लालुंग, काजा, जिला लाहौल-स्पिति ।
5. महिला प्रतिनिधि	:	मिसेज विजय डोगिया, निवासी वदाह, डा0 मोहल, जिला कुल्लू ।
6. भूतपूर्व सैनिक प्रतिनिधि	:	श्री राम नाथ, गांव व डाकघर मूरिंग, जिला लाहौल-स्पिति ।
7. अनुसूचित जाति/जन जाति प्रतिनिधि	:	श्री धर्म चन्द, गांव लोट, डा0 सर्डिग, जिला लाहौल-स्पिति ।
8. विधि संघ के प्रतिनिधि		श्री हीरा लाल कारवा, एडवोकेट बार एसोसिएशन, कुल्लू ।
9. जिला के युवा भाजपा के प्रधान	:	श्री नारायण दास, गांव कारदंग, डा0 केलंग, जिला लाहौल-स्पिति ।
10. जिले के व्यापार मण्डल के प्रधान	:	श्री दोरजे पानेपा, दुकानदार, केलंग ।

इस समिति के गठन के आदेश तुरन्त लागू होंगे ।

आदेश द्वारा,

एम0 एस0 मुखर्जी,
मुख्य सचिव ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 जुलाई, 1991

संख्या 1-37/72-एच0 एण्ड0 एफ0 पी0---राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश डा0 आर0एल0 शर्मा, चिकित्सा अधीक्षक टी0 बी0 सैनटोरियम टांडा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को अधिवर्षिता की आयु पूर्ण होने पर दिनांक 31-12-91 से सेवा निवृत करने के सहर्ष आदेश देते हैं।

आदेश से,

ए0 एन0 विद्यार्थी,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

कार्यालय जिलाधीश, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

मण्डी, 29 जुलाई, 1991

संख्या पी0सी0एन0-एम0एन0डी0ए0(1) 61/85-II.---उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 19 (बी) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या पी0 सी0 ए0-एच0 एच0 बी0(2)-19/76, दिनांक 15-1-82 के साथ पढ़ा जाये के अन्तर्गत प्राप्त हैं मैं, राजेश कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, ग्राम पंचायत लोहारा (ढावन) के निम्नलिखित पंचों के त्याग-पत्र तत्काल स्वीकार करता हूं तथा साथ ही उन पंचों के पद को रिक्त घोषित करता हूं :

क्रम सं0	नाम पंच	वार्ड संख्या
1.	श्री मनी राम	1
2.	श्री शेर सिंह	2

राजेश कुमार,
अतिरिक्त उपायुक्त,
मण्डी, जिला मण्डी ।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 29 जुलाई, 1991

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0ए0/(5) 35/89.---क्योंकि श्री प्रताप सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत भड़याल, विकास खण्ड मण्डी सदर, जिला मण्डी के विरुद्ध श्रीमती रेवती देवी पत्नी श्री किशोरी लाल, निवासी ग्राम रिछ द्वारा दिनांक 20-6-89 को थाना बल्ह, (रती) जिला मण्डी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने और पुलिस द्वारा रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त प्रधान के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341 एवं 354 के अधीन मामला दर्ज कर जांच के दौरान प्रधान को गिरफ्तार करने के आधार पर उपायुक्त, मण्डी ने प्रधान को पद से निलम्बित कर दिया था ;

क्योंकि जहां वह नैसर्गिक मनन के उपरोक्त कथित मामले में संलिप्त पाये गये हैं वहां उन्होंने प्रधान के पद की गरिमा को गिराया था;

और क्योंकि प्रधान को उक्त फौजदारी मामले में न्यायिक दण्डाधिकारी मण्डी ने रिहा/दोषमुक्त कर दिया था जिसके फलस्वरूप उपायुक्त मण्डी ने अपने कार्यालय आदेश संख्या एम0 एन0 डी0-डैव/90-30786-91, दिनांक 16-6-1990 द्वारा प्रधान के विरुद्ध पारित अपने पूर्व आदेश, दिनांक 27-3-1990 को समाप्त कर दिया था;

और क्योंकि जहां किसी उपायुक्त को उस द्वारा पारित किसी ग्राम पंचायत के पंच, प्रधान और उप-प्रधान के विरुद्ध निलम्बन आदेश को वापस लेने का अधिकार नहीं है और वहां उपरोक्त प्रधान के विरुद्ध कोई अन्य मामला न है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(4) के अन्तर्गत उन्हें प्राप्त शक्तियों के उपयोग में प्रधान श्री प्रताप सिंह के विरुद्ध उपायुक्त, मण्डी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-6-1990 को रद्द करते हैं वहां उन्हीं द्वारा प्रधान के विरुद्ध पारित निलम्बन आदेश दिनांक 27-3-1990 को भी रद्द करते हैं।

शिमला-2, 29 जुलाई, 1991

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 95/91.—क्योंकि श्री भीम सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत, बड़ाग्रां, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा ने बिना पंचायत की अनुमति से पंचायत के डाकघर खाता से मु0 7000/- रुपये 22-6-87 को, मु0 8000/- रुपये 29-6-87 को निकाले और निकाली गई राशि को अनाधिकृत रूप से निजी कार्य के लिए उपयोग किया और गन्तव्य प्रयोजन के लिए न लगाया एवं कुल निकाली गई मु0 15000 रुपये की राशि में से मु0 11265/- रुपये का हिसाब दिनांक 12-12-88 को दिया, शेष राशि 3735/- रुपये उनके पास अनाधिकृत रूप से 9-4-90 तक चलती रही जबकि 10-4-90 को उन्होंने शेष राशि पंचायत में जमा करवाई, इस प्रकार प्रधान ने उपरोक्त राशि का दुरुपयोग किया;

क्योंकि इसी आरोप में उपायुक्त कांगड़ा ने अपने आदेश दिनांक 10-1-90 को प्रधान को पद से निलम्बित किया और वास्तविकता जानने के लिए विभाग के समसंख्यक आदेश, दिनांक 28 मार्च, 1990 द्वारा जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा से जांच करवाई गई;

क्योंकि जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट 17-9-90 को दी जिस पर उपायुक्त कांगड़ा ने अपनी टिप्पणी दी और यह व्यक्त किया कि प्रधान ने राशि के दुरुपयोग को अपने ब्यान में माना है;

क्योंकि प्रधान के दुराचार पर उसे विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28-12-90 द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 जिसे ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाये के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिया;

क्योंकि नोटिस का उत्तर उपरोक्त प्रधान से प्राप्त हो चुका है;

और क्योंकि जांच रिपोर्ट, उस पर उपायुक्त की टिप्पणी, प्रधान के ब्यानात और नोटिस के उत्तर और सभी सम्बन्धित अभिलेखों के अध्ययन से सिद्ध होता है कि प्रधान ने उपरोक्त ढंग से सभा निधि का दुरुपयोग किया है जो कृत्य हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) (डी) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार दुराचार मानती है;

क्योंकि जहां प्रधान ने अब समस्त निकाली गई राशि का हिसाब दे दिया है और अपनी गलती को माना है;

अतः मामले में नर्मी का रवैया अपनाते हुये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उन शक्तियों के उपयोग में जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (1970 का 19) की धारा 54 की उप-धारा (2)-(ए) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्री भीम सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत, बड़ाग्रां, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा को जहां उन द्वारा किये गये दुराचार के लिए उन्हें सचेत करते हैं, वहां उपायुक्त कांगड़ा द्वारा पारित निलम्बनार्थ आदेश, दिनांक 10-1-90 को रद्द करते हैं और यह आदेशित करते हैं कि प्रधान, सभा निधि के दुरुपयोग के दृष्टिगत इस पर निम्नलिखित ढंग से $12\frac{1}{2}\%$ साधारण ब्याज वार्षिक भी दें:—

(क) मु0 7000/- रुपये पर 22-6-87 से 11-12-88 तक।
(ख) मु0 8000/- रुपये पर 29-6-87 से 11-12-88 तक।
(ग) मू0 3735/- रुपये पर 12-12-88 से 9-4-90 तक।

शिमला-2, 29 जुलाई, 1991

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5)-7-जी0-377/73.—क्योंकि उप-मण्डलीय न्यायिक मैजिस्ट्रेट, पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने केस सं0 81-11/89 "श्री कपूर सिंह बनाम सर्वश्री प्रेम चन्द (उप-प्रधान) गीरख राम आदि" में अपने निर्णय दिनांक 31-5-89 द्वारा श्री प्रेम चन्द अभियुक्त (वर्तमान उप-प्रधान, ग्राम पंचायत, सिद्धपुर सरकारी, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा) को दोषी पा कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 500 में सजा सुनाई और साथ ही उसे प्रोबेशन आफ आफैण्डर अधिनियम की धारा (3) में पड़ताड़ित कर रिहा कर दिया;

क्योंकि उपरोक्त न्यायालय के उक्त निर्णय के दृष्टिगत उपायुक्त कांगड़ा ने अपने आदेश सं0 1012-1017/पंच, दिनांक 31 मार्च, 1990 द्वारा इसी आधार पर श्री प्रेम चन्द उपरोक्त को पद से निलम्बित किया और निलम्बन आदेश पर श्री प्रेम चन्द उपरोक्त ने उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी पालमपुर से दिनांक 21-4-90 को स्थगन आदेश प्राप्त किया है;

क्योंकि सरकार के समसंख्यक आदेश दिनांक 17-12-90 द्वारा श्री प्रेम चन्द उपरोक्त को उपर्युक्त मामले में उपरोक्त ढंग से दण्डित किये जाने और बाद में छोड़े जाने की दिशा में उस द्वारा उप-प्रधान के पद पर बने रहने के लिए अयोग्य माना गया और इसके दृष्टिगत पद से निकासनार्थ नोटिस दिया गया;

क्योंकि मामले के समस्त पहलुओं पर विधि विभाग से परामर्श लेने के उपरान्त सरकार आश्वस्त है कि श्री प्रेम चन्द, उप-प्रधान उपरोक्त का भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा 500 में दण्डित किये जाने और तत्पश्चात् प्रोबेशन आफ आफेण्डर अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत पड़ताड़ित कर छोड़ दिया जाना, इसी अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत किसी प्रकार की अयोग्यता न है और न ही हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (1970 का 19) की धारा 9 (5) (बी0) की परिभाषा "नैतिक पतन" में आता है;

और क्योंकि श्री प्रेम चन्द, उप-प्रधान उपरोक्त के विरुद्ध अन्य कोई मामला नहीं है जिसके अधीन उसे उप-प्रधान के पद से अयोग्य करार दिया जाये;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (1970 का 19) की धारा 54(4) में प्रदत्त हैं, जहां उपायुक्त कांगड़ा के आदेश सं0 1012-1017/पंच, दिनांक 31 मार्च, 1990 को निर्सत करते हैं वहां सरकार के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 दिसम्बर, 1990 जिस द्वारा श्री प्रेम चन्द उपरोक्त को पद से निष्कासनार्थ नोटिस दिया गया था को भी वापिस लेते हैं और इस मामले में श्री प्रेम चन्द उपरोक्त के विरुद्ध सभी कार्यवाही इसी चरण पर समाप्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव।

अधिसूचना

शिमला-171002, 31 जुलाई, 1991

संख्या पी0सी0एच-एच0ए0(4)7/77-3.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी0पी0एच-एच0ए0(4)7/77, दिनांक 20-3-1978 तथा पी0सी0एच0-एच0ए0(4)7/77, दिनांक 3-8-1985 को आंशिक रूप से संशोधित करके राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अधीन, जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 4 व 5 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, जिला किन्नौर के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन/विभाजन करके उनके लिए निम्न प्रकार से ग्राम सभाओं की स्थापना सहर्ष आदेशित करते हैं :—

क्रमसं0	विकास खण्ड तथा वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के गांवों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रामों के नाम	अपवर्जित ग्रामों से बनी ग्राम सभा का नाम तथा उसका मुख्यवास	कोष्ठ संख्या 5 में बनी नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	विकास खण्ड पह:					
	1. कानम	1. लाबरंग 2. कानम	1. लाबरंग	1. लाबरंग	1. लाबरंग	कोष्ठ सं0 4 में वर्णित ग्राम लाबरंग को छोड़ कर कोष्ठ सं0 5 का शेष गांव ग्राम सभा कानम में ही रहेगा।
2.	विकास खण्ड निचार:					
	1. उर्नी	1. उर्नी 2. युला	1. युला	1. युला	1. युला	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम युला को छोड़ कर कोष्ठ संख्या 3 का शेष गांव उर्नी ग्राम सभा उर्नी में ही रहेगा।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित